न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ब

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 18 / 2017

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां
(प्रार्थी)

बनाम

श्री पवन कुमार उम्र 45 वर्ष पुत्र राजाराम पिपलानी जाति पंजाबी निवासी शंकर कॉलोनी बारॉ **(मालिक एवं निर्माता)** मेसर्स पवन चिली मर्चेन्ट, शंकर कोलोनी बारॉ जिला बारॉ
(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :— 1— श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2— श्री आलोक गोयल अभिभाषक (अप्राथी)

निर्णय दिनांक 10.12.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.9.2016 को मैसर्स पवन चिली मर्चेन्ट, शंकर कोलोनी बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री पवन कुमार पुत्र श्री राजाराम पिपलानी **(मालिक एवं निर्माता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (शिव ब्राण्ड)** 500 ग्राम पौलिपेक मे लगभग 20 कि.ग्रा. मात्रा मे विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (शिव ब्राण्ड)** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु **धनिया पाउडर (शिव ब्राण्ड)** विक्रेता से 500 ग्राम पौलिपेक 4 पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री पवन कुमार पुत्र स्व. श्री राजाराम पिपलानी को 160/— रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री ओम प्रकाश गौत्तम व श्री राजेन्द्र कुमार लक्षकरी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा **धनिया पाउडर (शिव ब्राण्ड)** 500 ग्राम के चार पैकेट को चार नमूना भाग मे कर मूल ही प्लास्टिक के डिब्बो मे भरकर लेबल तैयार कर, प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक एएच—659 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये चारों नमूना भागों को अलग—अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री पवन कुमार पुत्र स्व. श्री राजाराम पिपलानी ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति को सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/347 दिनांक 26.12.2016 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 238/FSSA/Kota /Act/2016/386 दिनांक 13.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये, खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (शिव ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से खाद्य अनुज्ञा पत्र की सूचना चाही गई। अप्रार्थी द्वारा प्रतिउत्तर मे खाद्य अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 11.7.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (शिव ब्राण्ड)** 500 ग्राम का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि प्रार्थी द्वारा इस्तगासे मे मद संख्या 1 ता 6 गलत व अस्वीकार है। मद संख्या 7 अस्वीकार है धनिया पाउडर शिव ब्राण्ड खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत Mis Branded नही है। जांच रिपोर्ट गलत व अस्वीकार है। मद नम्बर 8 ता 10 गलत है अस्वीकार है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत किया गया इस्तगासा ड्रोप किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 238/FSSA/Kota /Act/2016/386 दिनांक 13.12.2016 के बाद अप्रार्थी को धनिया पाउडर (शिव ब्राण्ड) की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (शिव ब्राण्ड)** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी को कुल 5,000/- अक्षरे पॉच हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)